प्रेषक,

जी0 पी0 कमल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
7, वाला कदर रोड, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 02 जनवरी, 2017

विषय उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष से अनुदान की धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष नियमावली के प्रावधानों के अनुसार शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग/उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष समिति की बैठक दिनांक 29.12.2016 को सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में समिति द्वारा निम्नलिखित स्वैच्छिक संगठनों को उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम हेतु उनके सम्मुख अंकित धनराशि अनुदान के रूप में दिये जाने का निर्णय लिया गया है :-

क्र0 सं0	संस्था का नाम एवं पता तथा पदाधिकारी का नाम	अनुदान दिये जाने का प्रयोजन	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
1	ए0क्यू0 एजूकेशनल सोसाइटी, किसरौल, नागफनी, मुरादाबाद। प्रबंधक- श्री अब्दुल कदीर	जनपद मुरादाबाद के छजलेट ब्लाक में उपभोक्ता जागरूकता हेतु।	रूपये दो लाख मात्र। (रूपये एक-एक लाख की दो किस्तों में)
2	महात्मा ज्योतिबाफूलेनगर संस्थान, ग्राम बिचौला, कुंदरकी, तहसील बिलारी, मुरादाबाद। प्रबंधक- श्री हर प्रसाद सैनी	जनपद मुरादाबाद के बिलारी ब्लाक में उपभोक्ता जागरूकता हेतु।	रूपये दो लाख मात्र। (रूपये एक-एक लाख की दो किस्तों में)
3	मेसर्स दीप्ति दुग्ध विकास ग्रामीण सेवा संस्थान, पुत्सर नाथ नगर, संतकबीरनगर। प्रबंधक- श्री अनिल कुमार प्रजापति	जनपद संतकबीरनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता हेतु।	रूपये दो लाख मात्र। (रूपये एक-एक लाख की दो किस्तों में)
4	नेहरू युवा मण्डल, मो0 बाजारखुर्द, मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी। अध्यक्ष- श्री विजय कुमार राठौर	जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक मोहम्मदी में उपभोक्ता जागरूकता हेतु।	रूपये दो लाख मात्र। (रूपये एक-एक लाख की दो किस्तों में)
5	समग्र विकास सेवा समिति, 466/2, नई बस्ती, लखीमपुर खीरी। अध्यक्ष- श्री अशोक सक्सेना	जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक लखीमपुर में उपभोक्ता जागरूकता हेतु।	रूपये दो लाख मात्र। (रूपये एक-एक लाख की दो किस्तों में)
6	इन्वायरोमेंटल स्टडीज एण्ड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, लखीमपुर खीरी।	जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक बेहजम में उपभोक्ता	रूपये दो लाख मात्र। (रूपये एक-एक लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	अध्यक्ष- श्री प्रवीण पाण्डेय	जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु।	की दो किस्तों में)
7	शक्ति वेलफेयर सोसाइटी, कुम्हारन टोला, निकट गुरूद्वारा, गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर खीरी। महामंत्री - श्री आदित्य कुमार गुप्ता	तहसील-गोला, जनपद लखीमपुर खीरी में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु।	रूपये दो लाख मात्र। (रूपये एक-एक लाख की दो किस्तों में)
8	मेसर्स कलावती देवी जन विकास संस्थान, ग्राम गढ़, पोस्ट तसींगा, हाथरस। सचिव- श्रीमती सीमा सिंह	जनपद हाथरस के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु।	रूपये दो लाख मात्र। (रूपये एक-एक लाख की दो किस्तों में)
9	हंस शैक्षणिक एवं सेवा संस्थान, महरौनी, ललितपुर। प्रबंधक- श्री पंकज तिवारी	तहसील महरौनी, ललितपुर में उपभोक्ता जागरूकता शिविर एवं कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु।	रूपये दो लाख मात्र। (रूपये एक-एक लाख की दो किस्तों में)
10	सुयश, 65, सरायपुरा, ललितपुर। अध्यक्ष- श्री सुनील खजुरिया	जनपद ललितपुर के 04 ब्लाकों में उपभोक्ता जागरूकता शिविर एवं कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु।	रूपये दो लाख मात्र। (रूपये एक-एक लाख की दो किस्तों में)

2. अत: अनुरोध है कि कृपया समिति के उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में उपर्युक्त स्वैच्छिक संगठनों को राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष से प्रथम किस्त की धनराशि रूपये एक-एक लाख शासनादेश संख्या-सीपी 1004/29-8-2004-सीपी 16/2003, दिनांक 13 अक्टूबर, 2006 के साथ संलग्न मार्गदर्शक सिद्धान्त दिनांक 25 सितम्बर, 2006 के प्रस्तर-7 की व्यवस्थानुसार 15 दिवसों के भीतर अवमुक्त करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

3. अनुदान की उक्त धनराशि का दुरूपयोग संस्था द्वारा नहीं किया जायेगा एवं शासन द्वारा निर्धारित नियमों/नीति में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही धनराशि का व्यय/सदुपयोग किया जायेगा।

भवदीय,

जी0पी0 कमल
विशेष सचिव।

संख्या- 01/2017/एनजीओ 65(1)/84-2-2016-सीपी 16/2003 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) जिलाधिकारी, मुरादाबाद/संतकबीरनगर/लखीमपुर खीरी/हाथरस/ललितपुर।
(3) निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गोमतीनगर, लखनऊ।
(4) जिला पूर्ति अधिकारी मुरादाबाद/संतकबीरनगर/लखीमपुर खीरी/हाथरस/ललितपुर।
(5) वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रेम शंकर राय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-01/2017/एनजीओ 65(2)/84-2-2016-सीपी 16/2003 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया स्वीकृत धनराशि में से प्रथम किस्त की राशि प्राप्त हो जाने के तीन माह के भीतर शासनादेश संख्या सीपी 776/84-2-2008-सीपी 16/2003, दिनांक 17 सितम्बर, 2008 के प्रस्तर 2 के उपप्रस्तर (4) में निर्धारित फांट के अनुसार धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र, प्रमाण सहित शपथ पत्र के माध्यम से शासन को प्रश्नगत धनराशि उपयोग हो जाने के उपरांत एक माह के अंदर उपलब्ध करायें। उसके संतुष्ट होने की दशा में स्वीकृत धनराशि की द्वितीय किस्त निर्गत की जायेगी। यदि प्रश्नगत अनुदान की धनराशि का दुरूपयोग किया जाना पाया जायेगा तो संस्था के विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी :-

1 श्री अब्दुल कदीर, प्रबंधक, ए0क्यू0 एजूकेशनल सोसाइटी, किसरौल, नागफनी, मुरादाबाद।
2 श्री हर प्रसाद सैनी, प्रबंधक, महात्मा ज्योतिबाफूलेनगर संस्थान, ग्राम बिचौला, कुंदरकी, तहसील बिलारी, मुरादाबाद।
3 श्री अनिल कुमार प्रजापति, प्रबंधक, मेसर्स दीप्ति दुग्ध विकास ग्रामीण सेवा संस्थान, पुत्सर नाथ नगर, संतकबीरनगर।
4 श्री विजय कुमार राठौर, अध्यक्ष, नेहरू युवा मण्डल, मो0 बाजारखुर्द, मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी।
5 श्री अशोक सक्सेना, अध्यक्ष, समग्र विकास सेवा समिति, 466/2, नई बस्ती, लखीमपुर खीरी।
6 श्री प्रवीण पाण्डेय, अध्यक्ष, इन्वायरोमेंटल स्टडीज एण्ड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, लखीमपुर खीरी।
7 श्री आदित्य कुमार गुप्ता, महामंत्री, शक्ति वेलफेयर सोसाइटी, कुम्हारन टोला, निकट गुरूद्वारा, गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर खीरी।
8 श्रीमती सीमा सिंह, सचिव, मेसर्स कलावती देवी जन विकास संस्थान, ग्राम गढ़, पोस्ट तसींगा, हाथरस।
9 श्री पंकज तिवारी, प्रबंधक, हंस शैक्षणिक एवं सेवा संस्थान, महरौनी, ललितपुर।
10 श्री सुनील खजुरिया, अध्यक्ष, सुयश, 65, सरायपुरा, ललितपुर।

आज्ञा से,

प्रेम शंकर राय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।